संख्या–: सी0एम0–109 / तीन–2014–25(4) / 2014

8556/ई.26 ADM(B) ucco | RAJat

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद
4/7/14

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ :: दिनांक :: २६ जून, 2014

विषय : स्व–प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जन–सामान्य को प्रदत्त की जा रही अनेक शासकीय सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ संलग्नक के रूप में शपथ पत्र अनिवार्यतः जमा करने की व्यवस्था है। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु, विभिन्न विभागों में भर्ती हेतु, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र यथा–आय, जाति, निवास आदि प्राप्त करने एवं अन्य सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदक को शपथ पत्र के साथ आवेदन करना बाध्यकारी है। शपथ पत्र बनवाने की प्रक्रिया एवं उस पर होने वाले समय तथा धन के व्यय के दृष्टिगत उपरोक्त प्रक्रिया आवेदकों हेतु अत्यन्त असुविधाजनक एवं कष्टकारी साबित हो रही है। इस कठिन प्रक्रिया के कारण उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनायें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होती हैं।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनसेवा / जन सुविधा / ई–सुविधा / लोकवाणी केन्द्रों इत्यादि के माध्यम से प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(2.1) विभिन्न विभागों की शासकीय सेवाओं हेतु आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाये जाने हेतु ऐसी विभिन्न शासकीय सेवायें, जिन्हें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्नक के रूप में शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य है, के स्थान पर जनहित में आवेदक का स्व–प्रमाणित घोषणा पत्र स्वीकार किया जायें।

(2.2) शपथ पत्र की अनिवार्यता पूरी तरह से समाप्त कर दी गयी है।

(2.3) स्व–प्रमाणित घोषणा पत्र का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

(2.4) स्वतः घोषणा पत्र सादे कागज पर होगा, इसके लिए स्टाम्प पत्र आवश्यक नहीं होगा।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न प्रयोजनों हेतु आवेदक स आवेदन पत्र के साथ अपने अंक पत्र अथवा अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अनुप्रमाणित छाया प्रतियॉ संलग्न करने की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाता है तथा भविष्य में आवेदक द्वारा उक्त प्रस्तर–2 के अनुसार प्रस्तुत स्व–प्रमाणित अंक पत्र/प्रमाण पत्र मान्य होगा एवं आवेदक को राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अनुप्रमाणित छाया प्रतियॉ संलग्न करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।

4– स्व–प्रमाणीकरण की यह व्यवस्था ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी, जहॉ किसी अधिनियम या अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली के अंतर्गत अथवा मा0 न्यायालय के आदेशानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता होगी।

5– समस्त जनसेवा/जनसुविधा/ई–सुविधा/लोकवाणी केन्द्रों द्वारा संशोधित आवेदन स्वीकार करने हेतु तुरन्त अग्रिम कार्यवाही की जाये। जनसेवा/जनसुविधा/ई–सुविधा/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से सेवाऐं प्रदान करने हेतु विकसित की गयी स्टेट पोर्टल/ एस.एस.डी.जी./ई–डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में उपरोक्त के संदर्भ में आवश्यक कस्टमाईजेशन किया जाये। इसके अतिरिक्त प्रस्तर–3 से संबंधित अन्य समस्त विभाग भी उपरोक्त के संबंध में संशोधित आवेदन स्वीकार करने हेतु वांछित कार्यवाही एवं अन्य समस्त आवश्यक कस्टमाईजेशन की कार्यवाही तत्काल पूर्ण कर लें।

6– कृपया उक्त आदेशों का तात्कालिक प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या–: सी0एम0–109 (1)/तीन–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।
प0सं0 1525 /आर0ए0–प्रथम/गा0बाद/2014 दिनांक: 07 –07–2014

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध से प्रेषित कि उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों का पालन कराये जाने का कष्ट करें।

01– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।
02– मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
03– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन/नगर/वित्त एवं राजस्व/भू0अ0) गाजियाबाद।
04– मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद।
05– नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद/उप जिलाधिकारी (सदर/मोदीनगर/लोनी)
06– अपर उप जिलाधिकारी सदर।
07– तहसीलदार, सदर/मोदीनगर/लोनी।
08– आशुलिपिक–जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

प्रभारी अधिकारी (सं0का0)
कृते जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

शासनादेश संख्या–: सी0एम0–109/तीन–2014, दिनांक जून, 2014 का संलग्नक

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

मैं,.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती.....

उम्र.....वर्ष.....व्यवसाय.....निवासी.....

.....

प्रमाणित करते हुये घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य हैं। मैने उसमें कुछ भी छुपाया नही है। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली–भॉति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं, तो मैं, मेरे विरूद्ध भा0द0वि0, 1960 की धारा–199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिये, स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

मै यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा की गई दस्तावेजों का स्व–प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजो का स्व प्रमाणीकरण किया जाता/गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधायें तत्काल वापस ले ली जाऐं।

स्थान..... आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर.....

दिनांक..... आवेदक/आवेदिका का नाम.....